

भारत सरकार  
विदेश मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 2234  
दिनांक 15.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

यूरोपीय देशों में बाल कल्याण मानक

2234. डॉ. संजय जायसवाल:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यूरोपीय देशों में रह रहे भारतीय परिवारों के बच्चों की अभिरक्षा के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विदेशों में रह रहे उन भारतीय परिवारों की सहायता के लिए कोई व्यापक योजना बनाई है जो यूरोपीय देशों के बाल कल्याण के कठोर मानकों के शिकार हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर  
विदेश राज्य मंत्री  
(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) से (घ) हमारे मिशन संबंधित बच्चों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए माता-पिता और स्थानीय अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में हैं। मिशन ऐसे मामलों में माता-पिता को कौंसली और कानूनी सहायता सहित हर संभव मदद प्रदान कर रहे हैं। मिशन के अधिकारियों ने सक्रिय रूप से इसमें शामिल बच्चों तक राजनयिक पहुंच की मांग की है। ऐसे मामलों में, इस मुद्दे को संबंधित विदेशी सरकार के साथ उठाया जाता है।

\*\*\*\*\*